न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **188/2013** दायर दिनाँक **14.08.2013**

वादी		प्रतिवादी
1. कल्याणसिंह पुत्र सरदारसिंह, उम्र–65साल, निवासी–ढिगाल, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. भागीरथसिंह खोले सरदारसिंह, उम्र–70साल, जाति–राजपूत, निवासी–ढिगाल, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

दावा बाबत्
दिलवाने कब्जा भूमि,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. वादी उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **18.05.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, वादी तथा प्रतिवादी एक ही पिता की औलाद है परन्तु प्रतिवादी अपने जायन्दा पिता के काका स्वर्गीय देवीसिंह के गौद गया हुआ है।

स्वर्गीय सरदारसिंह व देवीसिंह की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 133 रकबा 121.08 बीघा व खसरा नम्बर 141 रकबा 54.09 बीघा वाकै शरहद ढिगाल में अवस्थित है। स्वर्गीय सरदारसिंह के दो पुत्र वाद व प्रतिवादी का जन्म हुआ। प्रतिवादी अपने पिता के काका स्वर्गीय देवीसिंह के खोले गये, इस प्रकार उक्त खातेदारी में वादी एवं

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

प्रतिवादी का 1/2 – 1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से रहा व संयुक्त कब्जाकाश्त रहा।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद ग्राम ढिगाल में खसरा नम्बर 311/133 रकबा 31.11 बीघा व खसरा नम्बर 312/141 रकबा 51.09 बीघा की भूमि को नपवाया जाकर, रकबा 06.00 बीघा वादी की भूमि का कब्जा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

वाद का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 ग्राम ढिगाल खेवट संख्या 104/102 खसरा नम्बर 311/133 व 312/141 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**आकोदा** में पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी को सुना गया। वादी ने दावा स्वीकार कर, दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया। वादी ने वादग्रस्त भूमि के सीमाज्ञान व कब्जा दिलवाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व साक्ष्य का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। मजमे आम में प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत वाद, सीमाज्ञान व कब्जा से सम्बन्धित है। वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना हमारे मत में न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी, डिक्री किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 188 / 2013
दायर दिनाँक 14.08.2013, निर्णय दिनाँक 18.05.2018
कल्याणसिंह बनाम् भागीरथसिंह।

–:: **आदेश** ::–

हस्ब दावा शरहद मौजा ढाकी की ढाणी में खसरा नम्बर 311 / 133 रकबा 31.11 व खसरा नम्बर 312 / 141 रकबा 51.09 बीघा भूमि का, वादी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा करवाये जाने पर, सीमाज्ञान करवाया जावे व यदि वादी के हिस्से की भूमि प्रतिवादी के कब्जा में हो तो, वादी को कब्जा दिलवाया जावे। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–आकोदा

निर्णय, आज दिनाँक **18.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–आकोदा

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
–:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::–
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **188/2013** दायर दिनाँक **14.08.2013**

वादी		प्रतिवादी
1. कल्याणसिंह पुत्र सरदारसिंह, उम्र–65साल, निवासी–ढिगाल, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. भागीरथसिंह खोले सरदारसिंह, उम्र–70साल, जाति–राजपूत, निवासी–ढिगाल, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

दावा बाबत्
दिलवाने कब्जा भूमि,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **18.05.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **वादी उपस्थित** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा शरहद मौजा ढाकी की ढाणी में खसरा नम्बर 311/133 रकबा 31.11 व खसरा नम्बर 312/141 रकबा 51.09 बीघा भूमि का, वादी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा करवाये जाने पर, सीमाज्ञान करवाया जावे व यदि वादी के हिस्से की भूमि प्रतिवादी के कब्जा में हो तो, वादी को कब्जा दिलवाया जावे।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत............ ....–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 18.05.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–आकोदा

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—आकोदा

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः—188—2013 / रीडर / 2018 / दिनाँक **18.05.2018**

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
दिलवाने कब्जा भूमि,
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादी
1. कल्याणसिंह पुत्र सरदारसिंह, उम्र—65साल, निवासी—ढिगाल, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. भागीरथसिंह खोले सरदारसिंह, उम्र—70साल, जाति—राजपूत, निवासी—ढिगाल, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—आकोदा

Scanned by CamScanner